Fax no. 0135-2658294 E-mail: cfshiwalik@yahoo.co.in

कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक-2712 /12-1 दिनांक, देहरादून 05, जून, 2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः- **जनपद पौड़ी गढवाल में जंपिन एडवेंचर्स प्राइवेट लि0 के पक्ष में 0.157 है0 वन भूमि के लीज नवीनीकरण के संबंध में।**

संदर्भ :- **आपका पत्रांक – 3267/FP/UK/Others/9959/2015 दिनांक 26.03.2018**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र से विषयगत प्रस्ताव पर आपके स्तर से लगाई गई आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण जो कि प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार द्वारा सीधे आपको प्रेषित किया गया है तथा प्रतिलिपि इस कार्यालय को भी पृष्ठांकित की गई है।

प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि इसकी स्वीकृति के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें। सुलभ संदर्भ हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार के पत्रांक – 3846/12–1 दिनांक 17.05.2018 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक 2712 / 12-1 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार को उनके पत्रांक – 3846/12–1 दिनांक 17.05.2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून।

Tel/Fax No. 01382-228467
E-mail-dfo_lansdowne@yahoo.com

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

उत्तराखण्ड राज्य

पत्रांकः- 3846 / 12-1 ,दिनांक, कोटद्वार, 17/05 , 2018.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षण एंव नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– **जनपद पौडी गढवाल में जंपिन एडवेचर्स प्राइवेट लि0 के पक्ष में 0.157 है0 वन भूमि के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में।**

संदर्भः– आपका पत्र 3267/FP/UK/OTHERS/9959/2015 दिनांक 26.03.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि आपके द्वारा उक्त प्रकरण में पायी गई कमियों के निराकरण कर सूचना बिन्दुवार निम्नवत् प्रेषित है :–

1– पूर्व स्वीकृत पॉच वर्षीय लीज का पट्टा–विलेख 16 अगस्त 2010 को बनाया गया था, जिसके अनुसार पॉच वर्ष 15 अगस्त 2015 को पूर्ण हो गये थे तथा संस्था द्वारा लीज नवीनीकरण प्रस्ताव अप्रैल 2015 को प्रेषित किया गया था। तदउपरान्त ज्ञात हुआ हुआ कि लीज शासनादेश निर्गत होने कि तिथि से पॉच वर्षो तक दी गई थी। अतः प्रस्तावक विभाग द्वारा भूलवश हुई त्रुटि के लिये क्षमा प्रार्थी है।

2– भारत सरकार एंव राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

3– पूर्व में जमा किये गये लीज रेन्ट की सूचना संलग्न है।

4– लीज प्रस्ताव मात्र 0.157 है0 वन भूमि का है, अतः अवनत वन क्षेत्र वृक्षारोपण लागु नही होना प्रतीत होता है।

5– भू–वैज्ञानिक की आख्या संलग्न है।

6– प्रस्ताव लीज नवीनीकरण होने से वांछित सूचना का लागू नही होना प्रतीत होता है।

7– N.P.V का आंकलन संलग्न है।

8– प्रस्ताव की मूल प्रति पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।

9– परियोजना में रिक्त पडे स्थानों की 10 वर्षीय वृक्षारोपण(दण्डात्मक वृक्षारोपण हेतु 100 पौधों के रोपण का आंगणन) संलग्न है।

10– परियोजना में किसी प्रकार का नव निर्माण नहीं होना बताया गया है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

पत्रांक 3846 / 12-1 दिनांकित

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।(संलग्न :- उपरोक्तानुसार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।